न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–20/2021

1. श्रीमती मधुदेवी पत्नी नरेन्द्र कुमार नरेड़ी जाति अग्रवालतहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0

— वादीया

बनाम

1. श्री राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत 88 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः– श्री रोहीताश्व पंचौली– अभिभाषक वादीया

निर्णय दिनांक 31.03.2022

1. वादीया ने वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. 1955 का पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा छोटीसादड़ी पटवार हल्का छोटीसादड़ी की वादीया के स्वामित्व व अधिपत्य की आराजी संख्या 1016/2415 रकबा 0.12 हैक्ट0 स्थित है। जिसके साबिक नंबर 1082 रकबा 2 बीघा 6 बीस्वा स्थित थी। जोकि श्रीमती लालमणि पत्नी जीवनलाल, श्रीमती मधुदेवी पत्नी नरेन्द्र कुमार, प्रकाशचन्द्र पिता मथुरालाल एवं श्रीमती कलादेवी पत्नी प्रकाशचन्द्र ने संयुक्त रूप से दिनांक 07.05.1985 को क्रय की थी, तब से उनके स्वामित्व व अधिपत्य में चली आ रही थी। जिसमें प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित था उसके पश्चात प्रकाशचन्द्र पिता मथुरालाल एवं श्रीमती कलादेवी पत्नी प्रकाशचन्द्र ने दिनांक 21.03.1987 को अपना हिस्सा वादीया श्रीमती मधुदेवी के पक्ष में

जरिये रजिस्टर्ड परित्याग पत्र के द्वारा त्याग कर दिया था एवं श्रीमती लालमणि ने एक वसीयत पत्र वादीया के पक्ष में निष्पादीत कर अपना हिस्सा वादीया को दिया था। इस प्रकार सम्पूर्ण आराजी वादीया के नाम दर्ज हो गई थी इस प्रकार नये आराजी संख्या 1016/2415 रकबा 0.12 हैक्ट0 जमीन पर वादीया ने सिनेमा घर निमार्ण करने हेतु राज्य सरकार को सरेन्डर कर सिनेमा कार्य हेतु परिवर्तन करवाने हेतु दिनांक 06.10.1986 को विधिवत लीजडिड निष्पादीत की तथा राज्य सरकार ने पंजिकरण कर 20 वर्ष हेतु वादीया को स्वीकृति प्रदान कर दी वादीया को राज्य सरकार किरायेदार मधुदेवी पत्नी नरेन्द्र कुमार नरेडी का इन्द्राज कर दिया गया था। जोकि सन 2006 में पुर्ण हो चूके थें तथा लीजडिड समाप्त होने के पश्चात वादीया ने इसका नवीनीकरण नहीं करवाया तथा उक्त आराजी पर सिनेमा कार्य भी वन्द कर दिया गया है। अतः प्रार्थीया का वाद स्वीकार कर सरकार किरायेदार का अंकन हटाकर वादीया के खातेदारी में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

2. वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद को बाद जॉच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन सुचित किया तथा प्रतिवादी ने अपना जवाव पेश किया गया जिसमें वाद के बिन्दुओं को स्वयं साबित करने एवं न्यायालय के क्षैत्राधिकार का होना बताया गया एवं रेकार्ड अनुसार आदेश करना जाहिर किया तथा पत्रावली को साक्ष्य वादीया हेतु नियत किया गया जिसमें वादीया ने स्वयं उपस्थित होकर अपने बयान लेखबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादीया ने अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रर्दश करवाया गया तथा साक्ष्य वादीया बन्द की गई साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण ने कोई मोखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे बाद साक्ष्य बन्द कर पत्रावली को [illegible] हेतु नियत किया गया दौरान बहस वकील प्रार्थीया ने वाद के मूल बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी संख्या 1016/2415 रकबा 0.12 हैक्ट0 जिसके पुराने नंबर 1082 रकवा 2 बीघा 6 बीस्वा थे जिसकी लीजडिड सन 2006 में पुर्ण हो चूके थें तथा लीजडिड समाप्त होने के पश्चात वादीया ने इसका नवीनीकरण नहीं करवाया तथा उक्त आराजी पर सिनेमा कार्य भी बन्द कर दिया गया है। अतः प्रार्थीया

का वाद स्वीकार कर सरकार किरायेदार का अंकन हटाकर वादीया के खातेदारी में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

3. पत्रावली में बहस सुनी गई तथा का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया सलंग्न लीजडीड का अवलोकन किया गया जोकि सन् 1986 में निष्पादित कि गई थी तथा 2006 में समाप्त हो चूकी है एवं वादीया ने इसका नवीनीकरण नहीं करवाया तथा उक्त आराजी पर सिनेमा कार्य भी बन्द कर दिया गया है। तथा लिजडीड के पेरा संख्या 5 पर भी उक्त लीजडीड का नवीनीकरण करने या नहीं करने का प्रार्थीया को स्वतन्त्रता का उल्लेख किया गया है तथा सयुक्त खातेदारों ने भी वादीया के पक्ष में त्यागपत्र निष्पादित किया गया जिससे वर्तमान में उक्त आराजी सरकार किरायेदार मधुदेवी दर्ज रेकार्ड है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादीया उक्त आराजी का उपयोग–उपभोग कर रही है अतः वादीया का वाद स्वीकर किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

4. परन्तु राजस्थान भू–राजस्व(सिनेमा घर तथा पेट्रोल पम्प चिकित्सा सुविधा स्थापित करने हेतु कृषि भूमि का आंवटन तथा नियमन) नियम 1978 के अन्तर्गत लिजडीड समर्पण का अधिकार श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को दिये गये है अतः प्रार्थीया को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के यहा लीजडीड समर्पण करने के निर्देश दिये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी जिला-प्रतापगढ़

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़